

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को "जहाँ है, जैसा है," के आधार पर e-Auction & Online bids पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

e-Auction & Online bids का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रूपये 590/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 500/- + 18 प्रतिशत GST रू0 90/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को **e-AUCTION & Online bids** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-AUCTION & Online bids का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. **e-AUCTION & Online bids** में भाग लेने हेतु पात्रता—
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ङ) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (ज) एच0यू0एफ0।
 - (झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म।
 - (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।
3. आवेदक को e-AUCTION & Online bids में भाग लेने के लिये पैन एवं आधार/वोटर कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-AUCTION &

Online bids के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार नियत तिथियों को e-AUCTION & Online bids आमन्त्रित है।

5. e-AUCTION & Online bids में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल है जो प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-AUCTION & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-AUCTION & Online bids हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-AUCTION & Online bids के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए ConfidentialComputerized code प्राप्त करना होगा।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-AUCTION & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-AUCTION & Online bids में भाग नहीं ले सकेगा।
8. e-AUCTION के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार Online bids के माध्यम से आवेदक द्वारा दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
9. नियत दिनांक को आवेदकों द्वारा Online bids दी जा सकेगी। नियत दिनांक को निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदक Online bids नहीं दे सकेंगे। Online bids देने वाले आवेदक को ही e-AUCTION में भाग लेने का अधिकार होगा।
10. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION & Online bids में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को Online bids में भाग ले सकते हैं तथा जिन आवेदकों

द्वारा Online bids में भाग लिया गया है, केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।

11. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेगें। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
12. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्वः हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी नीलामी/बिड में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर लोड करनी होगी। सफल आवेदको को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्वः हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
13. e-AUCTION की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-AUCTION समिति द्वारा नियत दिनांक को निर्धारित समयानुसार आवेदकों की Online प्राप्त bids खोली जायेगी तथा आवेदकों की e-AUCTION के माध्यम से प्राप्त दरों व Online bids में प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। e-AUCTION व Online bids में से परस्पर प्राप्त उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
14. e-AUCTION & Online bids के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर Online bids देने वाले आवेदक/e-AUCTION पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-AUCTION & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।
15. आवेदक जिस सम्पत्ति हेतु Online bids डालेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-AUCTION में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक

सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि(EMD) जमा करानी होगी।

16. फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

17. e-AUCTION & Online bids के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा।

18. उच्चतम् e-AUCTION & Online bids द्वारा दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन ऑफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। किन्तु आवंटन ऑफर धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में नियमानुसार दण्ड ब्याज जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है, के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी:-

(अ) उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड की कीमत में जमा धरोहर राशि (EMD) व आवंटन ऑफर राशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा।

(ब) मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड की कीमत में जमा धरोहर राशि (EMD) व आवंटन ऑफर राशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाही किश्तों में

देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 14 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा।

(स) लघु उद्योग कम आवासीय (LIGHT INDUSTRY-COM-RESIDENTIAL) वर्ग श्रेणी के भूखण्ड की कीमत में जमा धरोहर राशि (EMD) व आवंटन ऑफर राशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा।

19. दण्ड ब्याज—

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो बिलम्ब अवधि के लिये अल्प आय वर्ग व मिनी मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 14 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग उच्च आय वर्ग तथा लघु उद्योग कम आवासीय (LIGHT INDUSTRY-COM-RESIDENTIAL) श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा।

20. e-AUCTION & Online bids का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

21. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद	प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय
----	---------------------------------	---

सं०-०८	सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	लिया गया— (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किशतों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।
--------	---	---

22. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, भूखण्ड मूल्य में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) किशतों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किशतों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किशतों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

23. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

24. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है।

यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम् दर का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।

25. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
26. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
27. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
28. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
29. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
30. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
31. अन्य शर्तें—

(1) e-AUCTION & Online bids में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

- (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION & Online bids पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION & Online bids से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- (5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।
- (6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।
- (7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-AUCTION & Online bids में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा-

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

.....

Program for on line bidding/e-auction					
Sr. No.	Actions	Start Date & Time		Expiry Date & Time	
1.	Online Registration, Application,	03-01-2020	11.00 Hrs.	--	--
2.	Uploading of documents and payment of EMD and Processing fee etc. on e-Tender cum e-Auction Website	04-01-2020	11.00 Hrs.	15-01-2020	17.00 Hrs.
3.	Submit e-Tender	04-01-2020	11.00 Hrs.	16-01-2020	17.00 Hrs.
4.	Opening & scrutiny of Application and Uploaded documents	17-01-2020	11.00 Hrs.	--	--
5.	e-Auction	20-01-2020	11.00 Hrs.	20-01-2020	14.00 Hrs.
		{Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required}			
6.	Opening of closed bids	--	--	20-01-2020	15.00 Hrs.
* If the e-auction is extended upto after 15.00 Hrs, then opening of closed bid will be done after the completion of auction.					

DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
S.No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE	RESERVE VALUE	EMD	MINIMUM PER SQM BID for Auction
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	A	A-77	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
2.	A	A- 83	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
3.	A	A-85	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
4.	A	A-87	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
5.	A	A-199	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
6.	A	A-269	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
7.	A	A- 286	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
8.	A	A-294	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
9.	A	A- 307	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
10.	C	C-454	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
11.	C	C- 455	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129

12.	C	C- 456	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
13.	C	C- 457	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
14.	C	C- 458,	200	HIG Residential	12870	2574000	257400	129
MAJOR DHYAN CHAND NAGAR LIGHT INDUSTRY-COM-RESIDENTIAL SCHEME								
15.	C	C-144	99	SG-3	14520	1437480	143748	145
16.	C	C-7	450	SG-6	14520	6534000	653400	145
17.	C	C-14	450	SG-6	14520	6534000	653400	145
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
18.	C	C-36	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
19.	C	C-39	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
20.	C	C- 88	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
21.	C	C-123	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
22.	C	C- 441	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
23.	C	C- 442	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
24.	AP	AP-08,	67.5	LIG Residential	13530	913275	91328	135
25.	D	D-352,	200	HIG Residential	13530	2706000	270600	135
26.	D	D-353	238.8	HIG Residential	13530	3230964	323096	135
27.	D	D-367,	257.94	HIG Residential	13530	3489928	348993	135
28.	D	D-38/1,	285.25	HIG Residential	13530	3859433	385943	135
29.	D	D-105,	92.4	LIG Residential	13530	1250172	125017	135
30.	D	D-106	101.34	LIG Residential	13530	1371130	137113	135
31.	D	D-31	137.1	MIG Residential	13530	1854963	185496	135
32.	D	D-49	166.14	MIG Residential	13530	2247874	224787	135
33.	D	D-50	125.63	MIG Residential	13530	1699774	169977	135
34.	D	D-335	158.65	MIG Residential	13530	2146535	214653	135
RAKSHA PURAM HOUSING SCHEME								
35.	3	3/252	288	HIG RESIDENTIAL	13530	3896640	389664	135
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
36.	B	B-242	59.46	LIG RESIDENTIAL	19400	1153524	115352	194
37.	B	B-246	51	LIG RESIDENTIAL	19400	989400	98940	194
38.	B	B-256	41.25	LIG RESIDENTIAL	19400	800250	80025	194
39.	B	B-258	39.96	LIG RESIDENTIAL	19400	775224	77522	194

VED VYAS PURI HOUSING SCHEME								
40.	1/B	B-791	688.12	HIG RESIDENTIAL	18480	12716458	1271646	185
41.	1/B	B-792	629.12	HIG RESIDENTIAL	18480	11626138	1162614	185
42.	4B	B-395	120	MIG RESIDENTIAL	18480	2217600	221760	185
43.	4B	B-400	60	LIG RESIDENTIAL	18480	1108800	110880	185
44.	4B	B-406	60	LIG RESIDENTIAL	18480	1108800	110880	185
45.	4B	B-407	60	LIG RESIDENTIAL	18480	1108800	110880	185
PALLAVPURAM PHASE-1, HOUSING SCHEME								
46.	G	G-86	168.68	MIG RESIDENTIAL	19000	3204920	320492	190
47.	H	H-129	120	LIG RESIDENTIAL	19000	2280000	228000	190
PALLAVPURAM PHASE-2, HOUSING SCHEME								
48.	NH	NH-63	212	HIG RESIDENTIAL	19000	4028000	402800	190
49.	NH	NH-64	212	HIG RESIDENTIAL	19000	4028000	402800	190
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME								
50.	A	A-243	199.55	HIG RESIDENTIAL	22500	4489875	448988	225
51.	A	A-240	235.04	HIG RESIDENTIAL	22500	5288400	528840	225
52.	A	A-249	197.18	HIG RESIDENTIAL	22500	4436550	443655	225
53.	A	A-315	93.45	LIG RESIDENTIAL	22500	2102625	210263	225
SHRADHAPURI PHASE-1 HOUSING SCHEME								
54.	6F	6/F-2	128	MIG RESIDENTIAL	18500	2368000	236800	185
SHRADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME								
55.	D	BP-78	162	HIG RESIDENTIAL	19500	3159000	315900	195
56.	D	BP-47	112.5	MIG RESIDENTIAL	19500	2193750	219375	195